



भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकिंग क्षेत्र के सुधार—एक मूल्यांकन

डॉ. सीताराम सिंह तोमर

प्राचार्य, महाराजा मानसिंह महाविद्यालय ग्वालियर (म.प्र.)

DOI:<https://doi.org/10.5281/zenodo.14314577>

बैंकिंग क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक संगठित और गतिशील क्षेत्र है। स्वतंत्रता के समय भी देश में वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली विद्यमान थी लेकिन परस्पर समन्वय, सामंजस्य और विनिमयन का अभाव था उनमें विनिमयन और नियंत्रण लाने तथा सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करने के लिये सन् 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गयी और बैंकिंग विनिमयन अधिनियम 1949 पारित हो जाने के पश्चात् उसे भारत में स्थापित कार्यरत वाणिज्यिक बैंकों के निरीक्षण और विनिमयन का अधिकार प्राप्त हो गया। 1 जुलाई 1955 को सरकार ने इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया का राष्ट्रीयकरण कर उसे भारतीय स्टेट बैंक के रूप में परिवर्तित कर दिया और इसके अधिकांश शेयर रिजर्व बैंक के अधिकार में थे। सन् 1959 में देशी रियासतों के अनेक बैंकों को स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक बना दिया।

सन् 1959 से वाणिज्यिक बैंकों पर सरकारी स्वामित्व का सूत्रपात हुआ। इसके बावजूद बैंक अपने परिचालनगत लाभ और वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्र के वित्तपोषण तक सीमित रहे, बैंकों पर सामाजिक दायित्व का अभाव रहा। अतः कृषि और ग्रामीण कुटीर उद्योग वाणिज्यिक बैंकों के वित्तपोषण के लाभ से वंचित रहे। इसलिए बैंक तब तक समाज के सर्वांगीण विकास के सहभागी बने, वाणिज्य और उद्योग के क्षेत्र तक ही सीमित रहे। इसी अभाव की पूर्ति की दशा में सन् 1969 में 14 प्रमुख अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया जिनका उद्देश्य राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और उद्देश्यों के अनुसार ऋण उपलब्ध कराना था। राष्ट्रीयकरण के 11 वर्ष पश्चात् 1980 में और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।

नरसिंहम समिति-I की सिफारिशों ने 1991 में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों की प्रथम रूपरेखा प्रस्तुत की। सन् 1992-97 की अवधि में बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों की नींव रखी। इसी अवधि में पूँजी-पर्याप्तता, आय की पहचान, आस्ति-वर्गीकरण, प्रावधानीकरण, जोखिम मानदण्ड आदि विवेक-सम्मत मानदण्डों को लागू किया गया। इस अवधि में किये गये कुछ संरचनागत परिवर्तनों ने सुधारों की अगली पीढ़ी को जन्म दिया। बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता के कारण ही देश में सन् 1997 के आर्थिक संकट के संक्रामक आक्रमण से बच सका। वास्तविकता में विश्व में जब आर्थिक सुधारों को लागू करने के परिणाम सामने आने लगे तो इसी पृष्ठभूमि में सन् 1998 में नरसिंह समिति-II ने भारत में बैंकिंग क्षेत्र की सुधारों के लिए आगे की रूपरेखा प्रस्तुत की।

अध्ययन के उद्देश्य

1. सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकों की स्थिति का अध्ययन करना।
2. नवीन तकनीक एवं ग्राहक सेवा में सुधार होने का पता लगाना।
3. बैंकिंग क्षेत्र में सुधार की उपलब्धियों का अध्ययन करना।
4. बैंकिंग क्षेत्र की कमियों का मूल्यांकन करना।
5. आर्थिक सुधारों से उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन करना।
6. बैंकिंग क्षेत्र में आर्थिक सुधारों हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

बैंकिंग क्षेत्र में सुधार की उपलब्धियाँ

बैंकिंग क्षेत्र के सुधार की प्रमुख उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं –

- (1) नगदी प्रारक्षित अनुपात तथा संविधिक चलनिधि अनुपात के रूप में किये जाने वाले पूर्व-क्रयों में कमी करने के माध्यम से वित्तीय विनिमयनों में कमी करना।
- (2) ब्याज दरों को अपनियंत्रित किया गया है, जिसमें बैंकों को अपनी जमा और ब्याज की दरों को स्वयं ही निर्धारित करने की आजादी (छूट) दी गयी है।
- (3) बैंकिंग प्रणाली को और अधिक शक्ति प्रदान करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम संव्यवहारों, जोखिम की सीमाएँ, गैर-निष्पादक आस्तियों की मान्यता सम्बन्धी नियमों, प्रावधानीकरण सम्बन्धी मानदण्ड, लेखांकन

नियम, मूल्यांकन सम्बंधी मानदण्ड आदि की ओर बढ़ने के लक्ष्य के साथ बैंकों की सुरक्षा और सुदृढ़ता की ओर आगे बढ़ना।

- (4) बैंकिंग प्रणाली में वर्तमान में अधिक पारदर्शिता और प्रकटीकरण का समावेश हो गया है। वर्तमान में बैंकों को अपने तुलन-पत्र के साथ-साथ अपनी सहायक संस्थाओं के तुलनपत्र भी प्रस्तुत करने होते हैं।
- (5) बैंकिंग प्रणाली के उदारीकृत किये जाने और क्रमिक रूप में बाजारोन्मुखी बनाये जाने के कारण वित्तीय बाजार अब क्रमिक रूप से विकसित होने लगे हैं। बैंकों में भी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सुदृढ़ता पनपने लगी है।

बैंकिंग क्षेत्र की कमजोरियाँ

उदारीकरण, प्रतिस्पर्धा, तकनीकी उन्नयन तथा विश्वव्यापी सर्वोत्तम मानदण्डों को अपनाये जाने के कारण बैंकिंग क्षेत्र में अनेक दुर्बलताएँ भी उभर कर सामने आयी हैं। इनमें से प्रमुख कमजोरियाँ निम्नलिखित हैं –

(i) गैर-निष्पादक आस्तियाँ

बैंकों में सुधार के अनेक विश्वव्यापी सर्वोत्तम संव्यवहारों को अपनाये जाने के कारण बैंकों में सबसे बड़ी दुर्बलता जो उभर कर सामने आयी है, वह है—उनकी गैर-निष्पादक आस्तियाँ, गैर-निष्पादक आस्तियों में प्रतिशत के हिसाब से भले ही सुधार आया हो लेकिन वास्तविक गैर-निष्पादक आस्तियाँ समग्र राशि की दृष्टि से अभी भी काफी अधिक बनी हुई है।

(ii) ऋण वसूली प्रक्रिया

कानूनी लम्बी प्रक्रिया के कारण भी ऋण की वसूली अनावश्यक विलम्बकारी है। यदि न्यायालय से डिक्री प्राप्त भी हो जाये तो उसको लागू करना भी बड़ा जटिल कार्य है और उस समय तक आस्तिक मूल्य भी घट जाता है तथा उधारकर्ता सहयोग नहीं करता है, इस प्रकार की डिक्री का निष्पादन न होने के कारण भी आस्तियों का मूल्य-ह्रास हो जाता है। अपर्याप्त कम्पनी संचालन की परम्परा तथा जवाबदेही के निर्धारण के अभाव में बैंकों की वसूली प्रक्रिया में शिथिलता आ जाती है और बैंकों द्वारा ऋण की वसूली नहीं हो पाती है।

(iii) स्वामित्व की संरचना तथा सरकारी नियंत्रण

भारतीय बैंकों की बड़ी दुर्बलता उनके स्वामित्व की संरचना है। वर्तमान में भी बैंकों पर 51 प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व सरकार पर है। बैंकों के निदेशक मण्डलों में सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशक हैं अर्थात् निर्णय लेने में सरकारी नियंत्रण और साथ ही सरकारी और रिजर्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षण इन दोहरी भूमिकाओं के कारण बैंक में जवाबदेही का निर्धारण करना जटिल हो जाता है और सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों द्वारा किये गये गलत निर्णय अथवा गलत अनुपालन के लिए सीधे बैंक को उत्तरदायी नहीं ठहरा पाते हैं।

(iv) बेहतर कम्पनी संचालन

बैंकों की सबसे बड़ी और सबसे अधिक महत्वपूर्ण दुर्बलता है उनमें बेहतर कम्पनी संचालन की सुस्थापित प्रणाली का अभाव होना। विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इसके कारण अधिक समस्याओं से जूझते हैं। बेहतर कम्पनी-संचालन के अभाव के कारण बैंकों में वित्तीय, प्रशासनिक कार्य-निष्पादन में विभिन्न प्रकार की कमजोरियाँ बढ़ने लगती हैं। बैंकों की लाभदायकता प्रभावित हो रही है। बैंकों के कार्य निष्पादन में सुधार के लिए बेहतर कम्पनी संचालन की सुदृढ़ प्रणाली होना अति आवश्यक है।

आर्थिक सुधारों पर एक दृष्टि

भारत में निजीकरण को अपनाना आवश्यक था, क्योंकि देश के सार्वजनिक उपक्रम निरंतर घाटे में चल रहे थे। जिससे सरकार पर ऋण का भार बढ़ रहा था। विदेशी कम्पनियों से सार्वजनिक उपक्रम प्रतियोगिता करने में असमर्थ थे। नये आर्थिक सुधारों के तहत उदारीकरण के लिए निजीकरण करना आवश्यक था तथा भारतीय उद्योगों के विकास हेतु देश में यह कदम उठाया गया।

औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के अन्तर्गत बैंक दर में कमी, तरलकोष अनुपात में कमी, ब्याज दरों का विनिमय आदि को लागू किया गया। गृह ऋण हेतु उदार शर्तें निर्धारित की गयी हैं। बैंकों के कम्प्यूटरीकरण पर जोर दिया गया तथा ऑनलाइन बैंकिंग सुविधाओं को बढ़ाया गया। सरकार ने प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर एवं उत्पादन शुल्क में कमी की गयी है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये रूपये के मूल्य को रूपये की माँग एवं पूर्ति के आधार पर मूल्यांकित करने की व्यवस्था की गई। इस आधार पर रूपये का अवमूल्यन बाजार व्यवस्था के अन्तर्गत आ गया। इससे निर्यात वृद्धि संभव हुई है। सरकार ने चुने हुए उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की अंश पूँजी में 5 प्रतिशत तक विदेशी पूँजी निवेश की अनुमति दी है।

आर्थिक सुधारों से उत्पन्न समस्याएँ

1. शिशु, लघु एवं कुटीर उद्योगों का पतन।
2. विदेशी प्रभुत्व एवं आयातों में वृद्धि।
3. बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन के कारण गला काट प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन।
4. सार्वजनिक क्षेत्र की अवमानना।
5. पूँजी निर्माण में कमी।
6. भारतवर्ष का असंतुलित विकास एवं नियोजित विकास में बाधा।
7. बेरोजगारी में वृद्धि।
8. आर्थिक सत्ता का केन्द्रीयकरण।

आर्थिक सुधारों हेतु सुझाव

1. औद्योगिक नीति एवं औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति में सुधार।
2. बैंकिंग क्षेत्र एवं कर क्षेत्र में सुधार किया जाये।
3. पूँजी बाजार क्षेत्र में सुधार किया जाये।
4. नई आयात एवं निर्यात नीति लागू की जाये।
5. विनिमय दर का निर्धारण बाजार की माँग एवं पूर्ति की शक्ति के द्वारा हो।

निष्कर्ष

बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के चलते यह समय की माँग है कि बैंक की कार्य कुशलता बढ़ाने, उनमें बेहतर कम्पनी संचालन अपनाने, बैंकों के कार्य संचालन में आने वाली कमजोरियों को दूर करने, बैंकों की पूँजी पर्याप्तता में

वृद्धि की तथा उनकी लाभप्रदता, प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ करने के लिए कारगर उपाय शीघ्र किये जाएँ। बैंकों पर निरन्तर निगरानी रखी जाए और जब भी आवश्यक हो सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करते हुए हस्तक्षेप किया जाए। बैंकों में अपनायी जाने वाली प्रौद्योगिकी में उन्नयन किया जाए और कमजोर बैंकों को शीघ्र ही स्वास्थ्य के मार्ग पर लाया जाए। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है, कि ये बैंक उनमें जनता के विश्वास के परिचायक हैं। इसलिए उनको असफल होने देना जनता के विश्वास को तोड़ना होगा और कोई भी व्यवस्था जनता के विश्वास को तोड़कर आगे नहीं बढ़ सकती है। इसलिए यदि भारतीय बैंकिंग को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिये टिके रहना है तो उसे स्वस्थ, प्रतिस्पर्धी, बेहतर रूप में संचालित और जनता की आशा के अनुरूप कार्य करना होगा। इसीलिए इनकी स्थिति में सुधार की तत्काल आवश्यकता वर्तमान में समय की मांग है। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य तभी प्राप्त किये जा सकते हैं, जब ये अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में टिकने में सामर्थ्यवान बन सकें और जमाकर्ताओं की राशि की सुरक्षा के साथ-साथ उन्हें बेहतर सेवा और प्रतिफल प्रदान कर सकें और देश की प्रगति के वाहक बन सकें। बैंकिंग सुधारों के चलते भारतीय बैंकिंग प्रणाली न तो असफल हुई है और न ही भारत में बैंकिंग संकट आया है बल्कि इनकी दक्षता, पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हुआ है। इसके बावजूद भी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिये इनमें निरन्तर सुधार करते रहने की आवश्यकता है।

सन्दर्भित पुस्तकें

1. योजना अप्रैल 2015, पृष्ठ 47-49
2. योजना फरवरी 2016, पृष्ठ 24-28
3. संदीप व मुंजाल, भारत का आर्थिक विकास, पृष्ठ 81
4. व्यापार उद्योग पत्रिका, जून 2014, पृष्ठ 27
5. आर्थिक समीक्षा 2014-15, पृष्ठ 112-124
6. डी.आर.पी. सिंहल, वित्तीय क्षेत्र के सुधार हिमालया पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई, पृष्ठ 141-146